.

प्रेस विज्ञप्ति

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी, 2014

- विधि निर्माण संसद एवं विधानसभा का प्रमुख संवैधानिक कार्य - श्री सीताशरण शर्मा

- समितियों का कार्य सभा की तरह - श्री विक्रम वर्मा

- विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम का दूसरा दिन

छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के द्वितीय दिवस प्रथम सत्र में कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकों को "प्रश्न, प्रश्नकाल, प्रश्न से उद्भूत विषय पर आधे घंटे की चर्चा एवं सभा में सदस्यों द्वारा पालनीय नियम एवं शिष्टाचार" विषय एवं द्वितीय सत्र में "आय-व्ययक, अनुदान की मांगों पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान अनुपूरक अनुदान, आय-व्ययक पारण" आदि विषय पर श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने मान. सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मान. सदस्यों के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के द्वितीय दिवस आज प्रथम सत्र में अपने उद्बोधन में कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने "प्रश्न, प्रश्नकाल, प्रश्न से उद्भूत विषय पर आधे घंटे की चर्चा एवं सभा में सदस्यों द्वारा पालनीय नियम एवं शिष्टाचार" विषय पर सदस्यों को बताया कि- संसदीय कार्य-प्रणाली में प्रश्न का बहुत महत्व होता है और "प्रश्नकाल" विधानसभा का एक महत्वपूर्ण काल होता है और किसी भी परिस्थिति में प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाता है। श्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रश्नों की ग्राह्यता के नियम एवं आधे घंटे की चर्चा एवं सभा के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम एवं शिष्टाचार विषय पर भी सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी दी।

सदस्यों को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि - वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किये जाने के साथ ही मान. सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। बजट पर पहले सभा में सामान्य चर्चा एवं अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है। अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। उसके पश्चात् ही बजट पारित माना जाता है। श्री पाण्डेय ने विधायी कार्य, विधेयकों के पारण की प्रक्रिया एवं अध्यादेश पर बिन्दुवार जानकारी दी। राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयक पर पुनःविचार की प्रक्रिया पर भी उन्होंने मान. सदस्यों को जानकारी दी।

अंत में विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने मुख्य वक्ता श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय का शाल श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में मान. सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन तृतीय सत्र में मध्यप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा ने विधायी कार्य, विधेयकों के पारण की प्रक्रिया, चर्चा तथा अध्यादेश विषय पर मान. विधायकों को संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री श्री अजय चन्द्राकर, नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव, मान. मंत्रीगण एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा उपस्थित थे।

मान. विधायकों को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा ने कहा कि - विधि निर्माण संसद एवं राज्य विधान मण्डल (विधानसभा) का एक संवैधानिक कार्य है। प्रदेश की सर्वोच्च संस्था द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा स्वीकृत विधेयक कानून बनता है। विधेयकों को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है- 1. सरकारी विधेयक एवं 2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक। अध्यादेश के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि - विधानसभा के

अंतःसत्रकाल में यदि विधमान्य आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो तो राज्यपाल के समाधान हो जाने पर कि विद्यमान परिस्थितियों में ऐसा करना जरूरी हो तो ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है।

विधानसभा की समितियों एवं अशासकीय कार्य विषय पर अपने उद्बोधन में पूर्व सांसद श्री विक्रम वर्मा ने कहा कि - संसदीय शासन प्रणाली में यह स्वीकार किया गया है कि कोई भी संसद/विधानसभा अपना कार्य स्वयं पूर्ण नहीं कर सकती फलतः संसद का बहुत सा कार्य समितियों के माध्यम से किया जाता है। समितियाँ अपना प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वे सभी समितियाँ हैं, जो मध्य-प्रदेश विधानसभा में हैं। लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति प्रमुख वित्तीय समितियाँ हैं।

अंत में विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने मुख्य वक्ता अध्यक्ष मध्य-प्रदेश विधानसभा श्री सीताशरण शर्मा एवं पूर्व सांसद श्री विक्रम वर्मा को शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।

मध्य-प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सीताशरण वर्मा ने भी विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।